



कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि०

संलग्नक-4.1
(संदर्भ खण्ड 4.4)

क्रम संख्या

14/71, सिविल लाइन्स, कानपुर
यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध है

ऊर्जा की आपूर्ति की अध्यापेक्षा के लिए आवेदन पत्र

आवेदक का नवीनतम
फोटो चिपकाएं

(राजपत्रित अधिकारी/वैक अधिकारी
ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रमाणित)

- आवेदक का नाम : हिन्दी
: अंग्रेजी
 - पिता/पति का नाम : हिन्दी
: अंग्रेजी
 - व्यवसाय
 - पता
(क) ससूचना के लिए
मोबाइल/दूरभाष संख्या :
(ख) जहां संयोजन की अपेक्षा है : (स्थान की पहचान के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करें)
मोबाइल/दूरभाष संख्या :
(ग) स्थायी पता :
मोबाइल/दूरभाष संख्या :
 - भू-खण्ड का आकार..... वर्ग फुट
आच्छादित क्षेत्र वर्ग फुट
 - कुल भार : के. डब्ल्यू/के.वी.ए./एच.पी.
 - आपूर्ति का उद्देश्य (विधा)
 - प्रक्रिया शुल्क का विवरण :
(क) धनराशि :
(ख) भुगतान द्वारा, चेक/ड्राफ्ट/नकद/रसीद नम्बर :
(i) दिनांक :
(ii) बैंक का नाम :
- (पचास किलोवाट से अधिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत आपूर्ति का अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जानी है)
- इकाई का प्रकार फर्म (अर्थात् स्वामित्व /व्यक्तिगत/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/
समिति/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम)
 - औद्योगिक परिसर का विकास करने वाली संस्था का नाम (उदाहरण के लिए उ.प्र. राज्य
औद्योगिक विकास समिति/स्वयं/औद्योगिक विभाग आदि)
 - कब्जा-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र जो संस्था द्वारा जारी की गयी हो (प्रति संलग्न) संख्या
दिनांक.....
 - क्या आपूर्ति की आवश्यकता स्वतंत्र फीडर के माध्यम से है
 - क्या उक्त इकाई कभी किसी अन्य स्थान पर संचालित थी या संयोजन के लिए आवेदन की थी? (यदि हो कृपया निम्नलिखित सूचना दें)
(क) स्वीकृत भार
(ख) सेवा संयोजन संख्या

(1)

- (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो)
- (घ) पता
14. यदि भूतकाल में परिसर के लिए विद्युत के संयोजन का अनुरोध किया गया था, यदि हाँ, तो विद्युत संयोजन का विवरण दें।
- (क) इकाई का नाम
- (ख) सेवा संयोजन संख्या
- (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो)
15. वह उद्देश्य या प्रक्रिया जिसके लिए विद्युत भार की अपेक्षा की जाती है
16. प्रक्रिया की प्रकृति
17. (क) (उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण संख्या : प्रति संलग्न की जाएगी)
- (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाए)
18. इकाई का वित्त पोषण करने वाले अभिकरण का नाम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम/पिकप/बैंक/स्वयं कोई अन्य).....
19. उत्पादन के प्रारम्भ का प्रस्तावित दिनांक
20. क्या पास-पड़ोस में और कोई इकाई कार्यरत हैं। यदि हो तो उसका नाम और पता दें
21. कृपया समीपस्थ विद्युत उपकेन्द्र का वोल्टेज अनुपात और क्षमता और इकाई से उसकी दूसरी विनिर्दिष्ट करें

संलग्नक :

- कार्य-पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी. और एल. फार्म)
 - परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो अनुपस्थिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र संलग्न किया जाए।
 - कारखाना/उद्योग/परिसर/प्रतिष्ठान/गृह मानचित्र जहां आपूर्ति अपेक्षित है। मीटर बाक्स की अस्थाई स्थिति इंगित की जाए।
 - भुगतान की रसीद यदि नगद/चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो।
 - कम्पनी की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक बोर्ड की मंजूरी उद्योग प्रस्ताव के मामले में।
- टिप्पण - 1. एम.डी.आई. मीटर रहित उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू संवर्ग में संयोजित भार अनुबंधित भार का 200 प्रतिशत और वाणिज्यिक संवर्ग में अनुबन्धित भार का 133 प्रतिशत हो सकता है।
- अपने हित में कृपया परिसर को खाली करने के पूर्व आप अपने विद्युत आपूर्ति को स्थाई रूप से वियोजित कराना सुनिश्चित करें और परिसर को खाली करने के पूर्व खण्ड से आपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर।
 - विद्युत संयोजन को परिसर के स्वामित्व के सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा।

घोषणा

मैं/हम सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूँ/देते हैं कि :

- (क) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते/करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञापिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्षों से अन्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति लेने और इस प्रकार आपूर्ति ऊर्जा और टैरिफ आदेश में उपवर्णित दरों और अन्य सभी प्रकार का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूँ/रखते हैं।
- (ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञापिधारी की विवरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपरांतरणों सहित और विद्युत अधिनियम,

2003 के उपबन्धों का तथा इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।

- (ग) मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त उपबन्धों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबंधनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दें।
- (घ) मैं/हम आगे यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियंत्रण से परे है, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
- (ङ) मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।
- (च) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत है कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए इस घोषणा-पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबंध की तरह समझा जाएगा।
- (छ) मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य हैं। यदि कोई सूचना किसी पश्चात्वर्ती दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिकारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने, जैसी स्थिति हो, का अधिकार होगा।
- (ज) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग नहीं है। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी मुझे/हमें प्रदत्त ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि उपकरण के अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग कोई ढंग है, तो अनुज्ञप्तिधारी का अभिहित प्राधिकारी सामान्य परीक्षण और उपकरण, मीटर और वायरिंग का परीक्षण करने के लिए परिसर पर प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (झ) मैं/हमारे विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देने का वचन देता हूँ/देते हैं कि जब कभी मैं उस परिसर को खाली करने का आशय रखूंगा, जिसके लिए विद्युत संयोजन ग्रहण किया जा रहा है।

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाएगा)

1. प्राप्त आवेदन की तारीख
2. स्वीकृत अनुबंधित भार
3. आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख
4. उपभोक्ता सं./संयोजन सं.
5. मीटर सं.

आवेदक का हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

(3)

क्रम संख्या

अभिस्वीकृति

आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए श्री/श्रीमती.....का आवेदन-पत्र, जो सभी सम्बन्धों में पूर्ण है/निम्नलिखित कमियां हैं, को प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सभी भावी पत्राचार में प्रयुक्त किए जाने के लिए निर्देश सं. दिया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

प्रारूप

नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी का सम्मति-पत्र

संलग्नक-4.3
(संदर्भ खण्ड 4.4)

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
(अनुज्ञप्तिधारी का पता)

स्वामी का सम्मति-पत्र

मैं श्री/श्रीमती पिता/पति का नाम पता का

परिसर सं. का विधिक स्वामी होने के कारण एतद्द्वारा निम्न रूप में सहमत हूँ :

मैं श्री/श्रीमती पिता/पति का नाम द्वारा किराए पर दिए गए पूर्वोक्त परिसर में आप द्वारा आपके और पूर्वोक्त परिसर के किराएदार के बीच करार के निबन्धनों के अधीन की आपूर्ति के लिए विद्युत सेवा के बिल, मीटर, तार बिछाने, उपस्कर और अन्य उपकरणों के संस्थापन (एतस्मिन् पश्चात् संस्थापन कहा जाएगा) के लिए सम्मति देता हूँ। पूर्वोक्त परिसर के पूर्वोक्त किराएदार के खाली करने की स्थिति में, मैं पूर्वोक्त किराएदार से आपकी संविदा के अवसान के लिए प्रबन्ध करने के लिए आपको समर्थ बनाने के लिए आपको अग्रिम में 15 (पन्द्रह) दिनों की सम्यक् नोटिस दूंगा, जिसमें असफल रहने पर मैं किसी हानि के लिए उत्तरदायी हूंगा, जो उस कारण उत्पन्न हो।

मैं आश्वासन देने का वचन देता हूँ कि किराएदार अनुज्ञप्तिधारी के सभी विद्युत बकाये का भुगतान करता है और उक्त परिसर को खाली करने के पूर्व आदेश प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है।

हस्ताक्षर

उक्त स्वामी द्वारा की उपस्थिति में हस्ताक्षरित
साक्षियों के नाम पता

प्रारूप

(यदि आशयित उपभोक्ता परिसर का स्वामी नहीं है)
क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

संलग्नक-4.2
(संदर्भ खण्ड 4.4)

प्रेषक,
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
(अनुज्ञप्तिधारी का पता)

अभियन्ता

चूंकि वह भूमि/परिसर जिसका विवरण नीचे दिया गया है, श्री/श्रीमती के स्वामित्व में है और मैं उक्त भूमि/परिसर का केवल पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी हूँ जहां पर बिजली के कनेक्शन हेतु मैंने आवेदन किया है मैं श्री/श्रीमती पिता/पति का नाम पता से इस विषय में सम्मति प्राप्त नहीं कर सका हूँ लेकिन मैं उक्त भूमि/परिसर के अधिभोग का सबूत अर्थात् विधिमान्य मुख्तारनामा/किराये की नवीनतम रसीद/पंजीकृत पट्टा विलेख उपलब्ध करा दिया है।

अतः आपूर्ति की शर्तों पर जिसके लिए मैंने अनुबंध किया है, मुझे बिजली के कनेक्शन की स्वीकृति होने पर मैं अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली सभी प्रकार की क्षतियों और दावों की क्षतिपूर्ति करने और उसे उपहानि से मुक्त रखने को सहमत हूँ। इसमें कथित भूमि/परिसर के स्वामी (भले या मालिक श्री/श्रीमती पिता/पति का नाम पता या कोई अन्य हो) द्वारा कार्रवाई की धमकी दी जाने या उसके अनुराध के कारण होने वाले मुकदमें में आने वाली लागत, मूल याचिकाएं और सभी प्रकार की विधिक कार्यवाहियां शामिल हैं जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी उपगत करा सकता है या उसके द्वारा उपगत किए जाने की सम्भावना है। मैं पुनः सहमत हूँ कि भूमि/परिसर के स्वामी की सम्मति के बिना मुझे दिए गए बिजली कनेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसा कोई नुकसान, क्षति या अन्य कोई दावा मुझसे और मेरी सम्पत्ति से, वसूली किए जाने के समय लागू राजस्व वसूली अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अन्तर्गत, या ऐसी किसी कार्यवाही द्वारा जिसे अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता देना उचित समझता है, वसूल किए जाने योग्य है।

मैं स्वयं को ऐसी वसूली और कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी मानता हूँ।

पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी के हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक
साक्ष्य

(4)

कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा परीक्षण परिणाम
(अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा भरा जाएगा)

संलग्नक-4.4
(संदर्भ खण्ड 4.4)

1. उपभोक्ता का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पता :
4. वोल्टता तथा आपूर्ति की प्रणाली वोल्टता फेस
5. भार का विवरण :

विवरण	220/230 वोल्ट						400/440 वोल्ट		एच.टी./ई.एच.टी.	
	फेज 1		फेज 2		फेज 3		संख्या	कुल भार	संख्या	कुल भार
	संख्या	कुल वाट	संख्या	कुल वाट	संख्या	कुल वाट	संख्या	कुल भार	संख्या	कुल भार
1- प्रकाश बिन्दु										
2- पंखा बिन्दु										
3- प्लग बिन्दु										
4- मोटर										
5- अन्य उपकरण										
योग										

- (6) के. डब्ल्यू. में कुल संयोजित भार
- (7) एम्पीयर में कुल करेण्ट
- (8) एल.ई.सी. द्वारा निरोध परीक्षण का परिणाम

विवरण	फेज 1	फेज 2	फेज 3
फेज और अर्थ के बीच			
न्यूट्रल और अर्थ के बीच			
फेजों के बीच			

अनुज्ञप्त ठेकेदार द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं/हम अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार, अनुज्ञप्ति संख्या निम्न का सत्यापन करते हुए प्रमाणित करता हूँ करते हैं कि -

- (1) पूर्वोक्त संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है,
- (2) पूर्वोक्त संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे पर्यवेक्षक द्वारा किया गया है
- (3) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों एवं भारतीय मानक संस्थान, प्रावधानों के अनुरूप किया गया है
- (4) उक्त कार्य निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा किया गया है -

वायरमैन का नाम.....परमिट सं0.....वैधता की तारीख.....

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम.....प्रमाण-पत्र सं0.....वैधता की तारीख.....

हस्ताक्षर

विद्युत ठेकेदार के फर्म का नाम :

अनुज्ञप्ति सं0.....वर्ग.....वैधता की तारीख.....

वैधता की तारीख

हस्ताक्षर

उपभोक्ता द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रधपवधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता एम्पियर से अधिक नहीं है। संस्थापन में कोई परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदन के बाद की जाएगी।

दिनांक :

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा परीक्षण रिपोर्ट

विद्युतरोधी परीक्षण का परिणाम -

फेज-1 व अर्थ के बीच

फेज-2 व अर्थ के बीच

फेज-3 व अर्थ के बीच

फेज-1 व 2 के बीच

फेज-2 व 3 के बीच

फेज-3 व 1 के बीच

संस्थापन में पायी गयी कमियों, यदि कोई हो एवं उसे दूर करने के लिए की गयी कार्यवाही -

1-

2-

3-

दिनांक

अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षक का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

निरीक्षक

(विवरण संलग्न किया जाए)

निरीक्षण तिथि

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पद नाम

संयोजित भार को निर्धारित करने की प्रक्रिया

1.	बल्ब / पंखा	वास्तविक रेटिंग या प्रत्येक 60 वाट यदि बल्ब/पंखा पर दी गयी रेटिंग पढ़ना सम्भव न हो
2.	ट्यूब लाइट	वास्तविक रेटिंग या प्रत्येक 40 वाट
3.	लाइट प्लग	तीन प्लगों तक 60 वाट और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए 60 वाट अतिरिक्त
4.	टेलीविजन	
	(क) रंगीन	100 वाट
	(ख) श्वेत-श्याम	60 वाट
5.	पावर-प्लग	तीन प्लगों तक 500 वाट और प्रत्येक तीन प्लगों या उससे कम के लिए 500 वाट अतिरिक्त
6.	फ्रिज	250 वाट
7.	डेजर्ट कूलर	250 वाट
8.	गीजर	1500 वाट
9.	एयर कंडीशनर 1/डेढ़ टन	1500 वाट/2000 वाट
10.	पानी खींचने वाले पम्प	180 वाट या 360 वाट तक (पम्प के अनुसार) या उपकरण की कूल रेटिंग के अनुसार (नाम पट्टिका और विवरण)

टिप्पणी -

- यदि कोई उपकरण प्लग प्वाइंट, उपकरण भार या प्लग बिन्दु रेटिंग से संयोजित किया गया है तो जो भी अधिकतम है, उससे गणना किया जाएगा। ऐसे मामलों में, प्लग प्वाइंट के भार को अलग से नहीं गिना जाएगा।
- गैर घरेलू प्रकाश और पंखा के लिए प्रत्येक बल्ब का उपभोक्ता का भार 100 वाट ग्रहण किया जाएगा।
- आर्क/इन्डक्शन भट्ठी के भार की गणना भट्ठी की क्षमता के 600 के.वी.ए. प्रतिटन के आधार पर की जाएगी।
- केवल एक उपकरण का उच्चतर दर पर विचार किया जाएगा, यदि गीजर और एयर कंडीशनर (हीटर के बिना) लगाए गए हैं। इन उपकरणों/भारों के केवल तापन और शीतन प्रयोग को प्रचलित मौसम के अनुसार विचार में लिया जाएगा। (अर्थात् 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक शीतन के लिए और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक तापन के प्रयोग के लिए)।
- उपकरण, जो संस्थापन के आधीन है और विद्युतीय रूप से संयोजित नहीं है, उपकरण, जो भण्डारगृह/प्रदर्शन कक्ष में या तो पुर्जे के रूप में या विक्रय के लिए भण्डारित है, को संयोजित भार के रूप में विचार नहीं किया जाना है।
- घरेलू संयोजनों में निर्धारण के प्रयोजन के लिए, जल पम्प, माइक्रोवेव चूल्हा, वाशिंग मशीन, छोटे घरेलू उपकरणों को 100% भार कारक पर प्रतिदिन एक घंटे के कार्य के लिए निर्धारण के लिए माना जाएगा। 200 वाट से कम के उपकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

दरें वर्ष 2017 से प्रभावी

3- नये संयोजन के लिए :- नये संयोजन के लिए कृपया आवेदन पत्र (जो निःशुल्क उपकेन्द्रों पर तथा केस्को की वेबसाइट पर उपलब्ध है), पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कुल जमा योग्य धनराशि निम्न प्रकार से होगी जो 40 मीटर के केबिल सर्विस के लिए मान्य है।

- (1) मकान मालिक होने का प्रमाण-पत्र/रजिस्ट्री की कापी (छाया प्रति) देनी होगी।
- (2) किरायेदार होने की स्थिति में मकान मालिक की सहमति पत्र/इन्डेमिनिटी बान्ड (किरायेदार द्वारा) एवं आवेदक के मूल निवास/घर का प्रमाण देना आवश्यक होगा।
- (3) एक फोटो प्रमाणित तथा पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता कार्ड/राशन कार्ड/बैंक पासबुक/ड्राइविंग लाइसेन्स आदि।

नये कनेक्शन हेतु कुल जमा होने योग्य धनराशि								
श्रेणी/भार	1कि०वाट	2कि०वाट	3कि०वाट	4कि०वाट	5कि०वाट	6कि०वाट	7कि०वाट	8कि०वाट
घरेलू	1630	2000	2930	3480	8459	8859	9509	10159
वाणिज्यिक	2330	3400	4730	5880	11459	12759	14059	15359

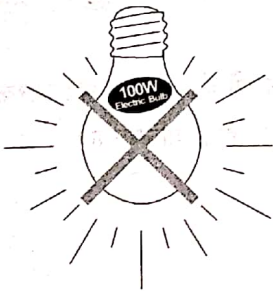
4- अपने बकाये बिल का भुगतान नियत तिथि तक अवश्य कर दें अन्यथा देय तिथि के सप्ताह बाद विद्युत आपूर्ति काट दी जायेगी तथा धारा-3 एवं भू-राजस्व अधिनियम धारा-5 की कार्यवाही करते हुए वसूली तहसील के माध्यम से की जायेगी।

5- कृपया दलाल से बचें तथा केवल केस्को के कर्मचारी एवं अधिकारी (जिनके पास पहचान पत्र उपलब्ध है) से ही सम्पर्क करें।

राष्ट्रहित में विद्युत की बचत करें एवं एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें। विद्युत की चोरी की सूचना एवं विद्युत सम्बन्धित किसी भी समस्या के लिए डायल करें 1912 - या 1800 180 1912

Website : www.kesco.co.in

“ऊर्जा बचायें”



बल्ब एवं सी०एफ०एल० के स्थान पर एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें
100 वॉट का एक बल्ब के स्थान पर 7 वॉट का एक एल.ई.डी. बल्ब जलाने पर



एक वर्ष में लगभग रु० 2400/- की बचत तथा

राष्ट्रहित में 400 यूनिट की बचत।

समय से विद्युत बिल जमा करें तथा विद्युत विच्छेदन से बचें।